

कार्यालय नगर निगम, कोटा
मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश
(नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक..न.नि.को/बी.पी.एल / 13-14/2008-2015

दिनांक:- 06.09.2013

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। पात्र व्यक्तियों को योजना के अनुसार प्रथम किश्त की राशि रूपये 33000/- हजार एतद्वारा किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर जारी की जाती है।

1. आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
2. बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
3. योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 70000 रूपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 5000रूपये की राशि देय होगी। इस प्रकार कुल राशि 75000 हजार देय होगी। प्रथम किश्त में 28000/-रूपये एवं 5000/- रूपये शोचालय निर्माण हेतु, कुल राशि 33000/- रूपये, द्वितीय किश्त राशि 28000/- रूपये तथा तृतीय किश्त राशि में 14000/- रूपये की राशि देय होगी।
4. भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
5. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बर्तात लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, डूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/ परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप वर्ष 2009 से पूर्व के निवास के निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेगे।

- (i) मतदाता सूची में नाम।
- (ii) राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (iii) विजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
- (v) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
- (vi) कब्जेधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।

नोट:- यह स्वीकृति आदेश भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।

वर्ष 2013-14 अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में लाभान्वित किये जाने वाले पात्र परिवारों की वार्डवार सूची :-

क्र.सं.	जोन	नयी वार्ड संख्या	पूर्व वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता	चयनित क्रमांक	जाति S.C-(1) S.T-(2) O.B.C- (3) Gen-(4) अल्पसंख्यक-(5)	बैंक का नाम मय शाखा	खाता सं.	कुल स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किश्त की राशि			विशेष विवरण
											राज्य सरकार की अति. सहायता	योग 28000/- रु + 5000/-रु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	रामपुरा	50	31	अशरत	इहसान भाई		193		75000	-	-	-	33,000	उन्नयन

2	रामपुरा	50	31	मो० रशीद	अ० रईस	चन्द्रघटा कोटा	622				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
3	रामपुरा	50	31	शकीला	सदाकत	118, चन्द्रघटा	699				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
4	रामपुरा	50	31	अशरफ हुसैन	मोहम्मद समर		710				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
5	रामपुरा	50	31	अब्दुल सलाम	अहमद अली	मीरा दातार, चन्द्रघटा	940				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
6	रामपुरा	50	31	मोहम्मद जफर	अहमद अली	मीरा दातार, चन्द्रघटा	941				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
7	रामपुरा	50	31	आमना	स्व. अब्दुल हमीद	मीरा दातार, चन्द्रघटा	944				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
8	रामपुरा	50	31	अहमद	युसुफ	मीरा दातार, चन्द्रघटा	960				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
9	रामपुरा	50	31	शब्दीर हुसैन	अब्दुल शकूर	चन्द्रघटा	1313				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
10	रामपुरा	50	31	मुबारीक	मोहम्मद अहमद	अजीज पहलवान की गली चन्द्रघटा	12				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
11	रामपुरा	50	31	अब्दुल रशीद	अब्दुल करीम	टिड़डा की चक्की के सामने चन्द्रघटा	406				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन
12	रामपुरा	50	31	सखावत	मोहम्मद युनुस	कुरेशीयों की मस्जिद चन्द्रघटा	537				75000	-	-	-	33,000	उन्नयन

अध्यक्षा
 (रामपुरा नियन्त्रण एवं विभाग पौ.पौ.एल)
 नगर निगम, कोटा

Cy
 मुख्य कार्यालयी अधिकारी
 मुख्य सदस्य और उपसदस्य अधिकारी
 नगर निगम, कोटा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री. इज्यराज सिंह जी मान्नीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कोटा बून्दी।
2. मान्नीय विधायक महोदय विधानसंभा क्षेत्र कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा।
3. महापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
4. पार्षद श्री.....वार्ड नं.....।
5. प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (RAVIL) जयपुर।
6. उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
7. आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....।
8. रक्षित पत्रावली।



मुख्य कार्यालयीय अधिकारी
मुख्य कुर्चिदली अधिकारी
नगर निगम, कोटा

